भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

समक्ष माननीय राजस्व मंडल, ग्वालियर, म.प्र. केम्प, भोपाल

निगरानी - 4465/2018/रायसेन/भू.रा. निगरानी प्र. क्र. R- -PBR/2018

नारायणसिंह पुत्र दलपतसिंह

आयु लगभग 55 वर्ष,

व्यवसाय- कृषि, निवासी- ग्राम अंधियारी,

तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन। .... निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. सीताराम आत्मज रामप्रसाद गुर्जर,

निवासी- ग्राम अंधियारी, तहसील गैरतगंज,

जिला रायसेन

2. तेजसिंह आत्मज गोपी,

निवासी- ग्राम जमुनिया खास, तहसील गैरतगंज,

जिला रायसेन

3. मुन्नालाल आत्मज फूलसिंह,

निवासी- ग्राम अंधियारी, तहसील गैरतगंज,

जिला रायसेन। .... रेस्पोंडेंटगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959

निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी माननीय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन द्वारा मामला क्र. 0022/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 31-01-2018, जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता को दिनांक 07-06-2018 को प्राप्त हुई एवं जिसकी प्रमाणित प्रति निगरानीकर्ता को दिनांक 07-06-2018 को प्राप्त हुई, से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों और आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-4465/2018/ श्यपुर/Rev.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-3-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 23-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । **अध्यक्ष**	